



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062022-236587
CG-DL-E-15062022-236587

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 304]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 14, 2022/ज्येष्ठ 24, 1944

No. 304]

NEW DELHI TUESDAY, JUNE 14, 2022/JYAISTHA 24, 1944

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2022

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और परिवाद निवारण प्रक्रिया)
(संशोधन) विनियम, 2022

सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.086.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 और धारा 217 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और परिवाद निवारण प्रक्रिया) विनियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और परिवाद निवारण प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और परिवाद निवारण प्रक्रिया) विनियम, 2017 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) के विनियम 3 में, उप-विनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(5) कोई शिकायत या कोई परिवाद बोर्ड के समक्ष उसके समर्पित पोर्टल www.ibbi.gov.in पर फाइल किया जाएगा।”

3. मूल विनियमों के विनियम 6 में,

(i) संक्षिप्त शीर्षक में, “शिकायत का निवारण” शब्दों के स्थान पर “बोर्ड द्वारा शिकायत का निवारण” शब्द रखे जाएंगे।

(ii) उप-विनियम (2) में,

(क) “पन्द्रह” शब्द के स्थान पर “सात” शब्द रखा जाएगा

(ख) निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु बोर्ड द्वारा, सेवा प्रदाता के अनुरोध पर, उप-विनियम (2) के अधीन ईप्सित जानकारी और अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए सात दिन से अनधिक अतिरिक्त समय प्रदान किया जा सकेगा।”

(iii) उप-विनियम (3) में, “पैंतालीस” शब्द के स्थान पर “तीस” शब्द रखा जाएगा।

(iv) उप-विनियम (4) में, “पैंतालीस” शब्द के स्थान पर “तीस” शब्द रखा जाएगा।

4. मूल विनियमों में, विनियम 6 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“6क. दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा शिकायत का निवारण

(1) बोर्ड, विनियम 6 में किसी बात के होते हुए भी, किसी दिवाला व्यावसायिक के विरुद्ध किसी शिकायत को ऐसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा, जिसका वह एक व्यावसायिक सदस्य है, निवारण करने के लिए अग्रेषित कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन शिकायत की प्राप्ति पर, दिवाला व्यावसायिक एजेंसी शिकायत का निवारण अपनी उप-विधियों के अनुसार करेगी और बोर्ड को, शिकायत प्राप्त होने के तीस दिन के भफीतर सूचित करेगी।”

5. मूल विनियमों के विनियम 7 में,

(i) उप-विनियम (2) में,

(क) “पन्द्रह” शब्द के स्थान पर “सात” शब्द रखा जाएगा।

(ख) निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु बोर्ड द्वारा, सेवा प्रदाता के अनुरोध पर, सात दिन से अनधिक अतिरिक्त समय अनुज्ञात किया जा सकेगा।”

(ii) उप-विनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्: —

“(3) बोर्ड, परिवाद के प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर जानकारी और अभिलेख का अन्वेषण करेगा और इस बारे में कोई राय बनाएगा कि कोई प्रथमदृष्टया मामला विद्यमान है अथवा नहीं।”

(iii) उप-विनियम (5) में, “ऐसे विनिश्चय का” शब्दों के स्थान पर “तीस दिन के भीतर ऐसे विनिश्चय का” शब्द रखे जाएंगे।

(iv) उप-विनियम (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्: —

“(7) जहां बोर्ड की यह राय है कि कोई प्रथमदृष्टया मामला विद्यमान है, वहां वह भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण और अन्वेषण) विनियम, 2017 के विनियम 11 के अधीन कारण बताओ सूचना जारी कर सकेगा या भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण और अन्वेषण) विनियम, 2017 के अध्याय 3 के अधीन किसी अन्वेषण का आदेश कर सकेगा।”

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./123/2022-23]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और परिवाद निवारण प्रक्रिया) विनियम, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 सं. 461, तारीख 7 दिसम्बर, 2017 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी./21, तारीख 7 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2022

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Grievance and Complaint Handling Procedure) (Amendment) Regulations, 2022

No. IBBI/2022-23/GN/REG086.- In exercise of the powers conferred under section 196, 217 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Grievance and Complaint Handling Procedure) Regulations, 2017, namely:—

1. (1) These Regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Grievance and Complaint Handling Procedure) (Amendment) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Grievance and Complaint Handling Procedure) Regulations, 2017 (hereinafter referred to as ‘the principal regulations’), in regulation 3, for sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be substituted namely: -

“(5) A grievance or a complaint shall be filed with the Board on its dedicated portal www.ibbi.gov.in”.

3. In the principal regulations, in regulation 6,

(i) in the short title, for the words “Disposal of grievance” the words “Disposal of grievance by the Board” shall be substituted.

(ii) in sub-regulation (2),

(a) for the word “fifteen”, the word “seven” shall be substituted.

(b) the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that an additional time not exceeding seven days may be granted by the Board for submitting the information and records sought under sub-regulation (2) on the request of the service provider.”

(iii) in sub-regulation (3), for the words “forty-five” the word “thirty” shall be substituted.

(iv) in sub-regulation (4), for the words “forty-five” the word “thirty” shall be substituted.

4. In the principal regulations, after regulation 6, the following regulation shall be inserted, namely:—

“6A. Disposal of grievance by Insolvency Professional Agency.

(1) Notwithstanding anything contained in regulation 6, the Board may forward a grievance against an insolvency professional for disposal by the insolvency professional agency of which he is a professional member.

(2) On receipt of the grievance under sub-regulation (1), the insolvency professional agency shall dispose of the grievance in accordance with its bye-laws and intimate the Board within thirty days of receipt of grievance.”

5. In the principal regulations, in regulation 7,

(i) in sub-regulation (2),

(a) for the word “fifteen”, the word “seven” shall be substituted;

(b) the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that an additional time, not exceeding seven days, may be granted by the Board on request of the service provider.”

(ii) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted:

“(3) The Board shall investigate the information and records and form an opinion whether there exists a prima facie case within thirty days of the receipt of the complaint.”

(iii) in sub-regulation (5), after the words “of such decision”, the words “within thirty days” shall be inserted.

(iv) for sub-regulation (7), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(7) Where the Board is of the opinion that there exists a prima facie case, it may issue a show cause notice under regulation 11 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Inspection and Investigation) Regulations, 2017 or order an investigation under Chapter III of Insolvency and Bankruptcy Board of India (Inspection and Investigation) Regulations, 2017.”

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./123/2022-23]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Grievance and Complaint Handling Procedure) Regulations, 2017 were published *vide* notification No. IBBI/2017-18/GN/REG/21 on 07th December, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 461 dated 07th December, 2017.